**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**उच्चतर शिक्षा विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्याः 1282**

**उत्तर देने की तारीखः 25.11.2019**

**नई शिक्षा नीति'**

**1282. श्रीमती हेमामालिनी:**

**श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील:**

**श्री असादुद्दीन ओवैसी:**

**कुमारी शोभा कारान्दलाजे:**

**डा॰ रामशंकर कठेरिया:**

**डा॰ वेंकटेश नेता बोरलाकुंता**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को डॉ. के॰ कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित समिति की ओर से नई शिक्षा नीति का प्रारूप प्राप्त हुआ है और क्या सरकार द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नई शिक्षा नीति के संबंध में गठित समिति ने विद्यालय.स्तर की शिक्षा में सुधार हेतु कई सिफारिशें की हैं और यदि हांए तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैय

(ग): क्या सरकार ने विद्यालय स्तर की शिक्षा में समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप सुधार करने के विषय में कोई निर्णय लिया है और यदि हांए तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ): क्या देश के शिक्षा क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाविदों ने प्रस्तावित नीति पर विशेषज्ञों को विचार.विमर्श किए जाने को लेकर चिंता व्यक्त की है और यदि हांए तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैंय

(ड.): नई नीति में शामिल किए गए और पुरानी नीति से हटाए गए प्रमुख तत्वों का ब्यौरा क्या है;

(च): क्या सभी राज्यों ने प्रस्तावित नीति को लागू करने पर सहमति जताई है और यदि हांए तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहींए तो इसके क्या कारण हैंय और

(छ): प्रस्तावित नीति को कब तक लागू किया जाएगा और इससे देश में छात्रों के शिक्षा संबंधी बोझ कम करने और रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराने में कहां तक सहायता मिलेगी?

**उत्तर**
**मानव संसाधन विकास मंत्री**
**(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')**

(क) से (छ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986/92 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था है, जिसका तात्पर्य यह है कि सभी विद्यार्थियों को, दिए गए स्तर तक, तुलनीय गुणवत्ता की शिक्षा के लिए उनकी जाति, पंथ, स्थिति, या महिला-पुरुष पर ध्यान दिए बिना, पहुँच प्रदान की जाती है। इसमें सामान्य शैक्षिक ढांचा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा कार्यढांचा और शिक्षा के सभी चरणों के लिए न्यूनतम अध्ययन स्तर शामिल हैं। वर्तमान में, सरकार भारत को ज्ञान महाशक्ति बनाने के उद्देश्य से, गुणवत्तापरक शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान के संबंध में लोगों की आवश्यकता की बदलती गतिशीलता को पूरा करने के लिए एक नई शिक्षा नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है। इस उद्देश्य के लिए, गाँव से लेकर राज्य, आंचलिक स्तरों और राष्ट्रीय स्तर तक ऑनलाइन, विशेषज्ञ/विषयगत और जमीनी स्तर पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। प्रारंभ में, नई शिक्षा नीति के विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसने मई, 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके बाद मंत्रालय ने मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति हेतु कुछ इनपुट्स 2016 तैयार किए', दोनों दस्तावेजों को नीति निर्माण के लिए इनपुट माना जाता है। तदुपरांत, प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में जून 2017 में प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसने 31 मई 2019 को मंत्रालय को प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 (डीएनईपी 2019) प्रस्तुत की है। प्रारूप एनईपी 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Draft_NEP_2019_EN_Revised.pdf और https://innovate.mygov.in/list-nep/ पर विभिन्न हितधारकों से टिप्पणी और सुझाव प्राप्त करने हेतु अपलोड किया गया था। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों को डीएनईपी 2019 पर उनके विचारों और टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखे गए थे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक और ओडिशा के माननीय सांसदों के साथ एक शिक्षा संवाद दिनांक 31.07.2019, 01.08.2019 और 02.08.2019 को लगातार तीन दिन तक आयोजित किया गया था। स्कूल शिक्षा के राज्य शिक्षा सचिवों और उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा के राज्य सचिवों के साथ दो

बैठकें क्रमशः 09.07.2019 और 08.08.2019 को आयोजित की गईं। विभिन्न हितधारकों से प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर लगभग 2 लाख सुझाव प्राप्त हुए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर केब की एक विशेष बैठक राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा करने के लिए दिनांक 21.09.2019 को आयोजित की गई थी। **हालाँकि, इस स्तर पर कोई अंतिम विचार नहीं किया गया है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अभी भी जारी है।**

*****